न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/3223/2006/बीकानेर

पूनाराम पुत्र रावताराम जाति डूडी निवासी सिगड तहसील नागौर जिला नागौर।

अपीलांट....

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजूवाला जिला बीकानेर ।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री बद्रीप्रसाद सांखी, अभिभाषक अपीलांट।
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांकः 27.6.25

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर दिनांक 15–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी/अपीलांट को सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा चक 1–2 एम0डी0एम0 हाल चक 3 पी0के0एम0 के मुरबा नं0 204/45 के किला नं0 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। वादी/अपीलांट आवंटन के बाद से आदिनांक तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। परन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में अभी भी आराजीराज दर्ज है। अतः उक्त विवादित आराजी का वादी/अपीलांट को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी/ रेस्पो0 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। विचारण न्यायायल ने वादी/अपीलांट

को आवाजें लगवाई परन्तु वे न्यायालय में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.9.2005 पारित करते हुये वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.9.2005 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपनी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2005 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2005 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक ने निवदेन किया कि प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2005 की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2005 को प्रस्तुत कर नकल दिनांक 31.12. 2005 को प्राप्त कर ली। परन्तु प्रार्थी के अनपढ गरीब काश्तकार होने व कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपने अभिभाषक से राय कर अपील दिनांक 17.5.2006 को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहानभूति विचार करते हुये अपील को अन्दर मियाद मानते हुये देरी को क्षमा की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया चूंकि प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायायल के निर्णय की प्रति दिनांक 31.12.2005 को प्राप्त कर ली थी किन्तु अपीलांट/प्रार्थी ग्रमीण पयरिवेश का व्यक्ति होने से एवं अशिक्षित होने से विधिक प्रावधानों से अनभिज्ञता स्वाभाविक एवं मानवीय त्रुटि मानी जा सकती है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पक्षकार को सुनवाई के समुचित अवसर की उपलब्धता के मद्देनजर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुये मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को कन्डोन करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. तत्पश्चात उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी ।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वाद में नियत तारीख पेशी दिनांक 29.7.2005 के दिन आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.10.2005 नियत की थी। परन्तु अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली नियत तिथि से पूर्व ही दिनांक 28.09.2005 को निर्धारित करते हुये वादी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय में उसी दिन वाद का निर्णय कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपनी विधि विरूद्व आदेश से यथावत रखा है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी अपीलांट को दिनांक 16.7.1987 को विधिवत नियमों की पालना करते हुये आवंटित की गयी थी एवं आवंटन के पश्चात अपीलांट को भूमि का कब्जा दिया गया था। मौके पर अपीलांट अभी भी काबिज चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटित भूमि का अंकन अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया। विवादित आराजी अभी भी आराजीराज दर्ज है। इसी आधार पर वादी/अपीलांट द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय में खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपनी निर्णय में यथावत रखा जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 व अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किये है, जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट ने वाद पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड या भूमि आवंटन संबंधित अभिलेख की कोई प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की जिसके आधार पर विवादित आराजी पर उसका कब्जा साबित होता हो। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने आवंटित भूमि का कब्जा ही नहीं लिया इसलिए कब्जे के अभाव में आवंटन पूर्ण होना नहीं माना जा सकता। आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि पर कब्जा लिया जाना अनिवार्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपील में कथन लिया उसे विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी आवंटन बाबत ऐसा कोई ठोस अभिलेख/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्व हो सके कि उसे विवादित आराजी को विधिवत आवंटन किया गया है और विवादित आराजी पर उसका कब्जा चला आ रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों

ने यही आधार लेते हुये अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उपलबध का रिकार्ड ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई ठोस अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। केवल मात्र आवंटन आदेश की फोटो प्रति पेश की है। वाद पत्र में संलग्न अपुष्ट सबूतों के आधार पर वाद आगे चलने योग्य नहीं होने से वाद को खारिज किया गया। आदेश 7 नियम 14(1) सी0पी0सी0 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वाद की विरचना इस प्रकार हो कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चन करने के लिए वादी जिस आधार पर वाद लाता है उससे संबंधित दस्तावेज अथवा रिकार्ड न्यायालय के समक्ष पेश करे जिससे वाद के अंतिम विश्चियन करने का आधार प्राप्त हो जावे। परन्तु इस प्रकरण में अपीलांट ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपने प्रकरण को साबित करने बाबत कोई ठोस दस्तावेजी अभिलेख अथवा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि विचारण न्यायालय ने उसे सुनवाई अवसर दिये बिना एकपक्षीय में निर्णय पारित किया है। परन्तु अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय में अपील पेश करते समय भी अपने प्रकरण को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया केवल मात्र आवंटन की फोटो प्रति पेश की जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गयी थी। जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष उनको पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, यदि अपीलांट/वादी चाहता तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को साबित करने बाबत राजस्व रिकार्ड/ अभिलेख प्रस्तुत कर सकता था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों का यह मानना स्वाभाविक था कि अपीलांट के पास अपना कब्जा साबित करने हेतु कोई पुख्ता सबूत अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकार्ड व ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित

किये है जिसमें हम बिना किसी आधार के किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

10. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2005 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य